



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद)

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत राज्य स्तरीय अपीलेट अर्थोर्टी की
नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक J11060/54/2020-RE-III (373836) दिनांक 21.01.2021 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति शक्तियां एवं कर्तव्य) म.प्र. नियम 2021 दिनांक 23.03.2022 के आलोक में राज्य स्तरीय एपीलेट अर्थोर्टी (तीन सदस्यीय) जिसमें एक शिक्षाविद / एक सेवानिवृत्त लोक सेवक / एक सिविल सोसायटी प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाना है। जिसे अपने क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

राज्य स्तरीय अपीलेट अर्थोर्टी (तीन सदस्यीय) शिक्षाविद / सेवानिवृत्त लोक सेवक / सिविल सोसायटी प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र को विधिवत रूप से भरकर दिनांक ~~03.05.2023~~ कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक) परिषद कार्यालय के ई-मेल आईडी commissioner.nregs@gmail.com एवं est.nregs@gmail.com पर प्रेषित किये जा सकते हैं अथवा आयुक्त म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, 59 द्वितीय तल, नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश पिन 462011-में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इस संबंध में पात्रता, चयन प्रक्रिया, कार्यकाल, पारिश्रमिक आदि का विवरण एवं आवेदन प्रारूप महात्मा गांधी नरेगा तथा विभाग की वेबसाईट www.nregsmmp.org एवं www.prd.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आयुक्त

म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राज्य स्तरीय अपीलेंट अर्थोर्टी की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' के विरुद्ध अपील हेतु राज्य स्तरीय अपीलेंट अर्थोर्टी (तीन सदस्यीय) की नियुक्ति की जानी है।

1. एक शिक्षाविद
2. एक सेवानिवृत्त लोक सेवक
- 3 एक सिविल सोसायटी प्रतिनिधि

जिसे अपने क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। 30 वर्ष से कम अनुभव वाले आवेदकों के नाम पर चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

अपील प्राधिकरण के सदस्य की आवश्यक अर्हताएं:-

- 1) अकादमिक (शिक्षण) या सिविल सेवा या सिविल सोसायटी संगठन में उपरोक्तानुसार श्रेणियों में आवेदनकर्ता को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्ष का कार्यअनुभव होना अनिवार्य है।
- 2) आवेदक प्रख्यात प्रतिष्ठता तथा निष्कलंक सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिये।
- 3) आवेदक किसी राजनैतिक दल अथवा वर्तमान में प्रतिबंधित किसी गैर राजनैतिक संगठन/संस्था/समिति का सदस्य न हो तथा आवेदक के ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण न चल रहा हो।
- 4) आवेदक शारीरिक रूप से सक्रिय एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु सक्षम हो।
- 5) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल के रूप में जिन्होंने कम से कम 01-वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया हो, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
- 6) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों के पैनल का गठन राज्यस्तरीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

आयु सीमा -नियुक्ति के समय, उम्र 66-वर्ष से कम हो।

आवेदन हेतु शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारियाँ

- 1) मध्यप्रदेश राज्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित "अवार्ड"से व्यथित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु "त्रि-सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण" का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्य निःस्वार्थजनसेवा की प्रकृति का है।
- 2) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक एवं अनुभव से संबंधित दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित (attested) एवं शेष दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित (Self Attested) होना चाहिये।

- 3) आवेदक को कार्यानुभव के संबंध में राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित (attested) दस्तावेजों अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे।
- 4) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 5) आवेदन संबंधी प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों की जानकारी राज्य शासन की वेबसाइट- www.prd.mp.gov.in तथा महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट www.nregsmmp.org से डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यावधि-

अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति प्रथम बार 02-वर्ष की समयावधि के लिये की जावेगी। कार्य प्रदर्शन एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि एक बार में 01-वर्ष के लिये, अधिकतम 02-बार तक अथवा 68-वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जावेगी।

पारिश्रमिक

प्राधिकरण के सदस्यों को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये- 50000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) के अध्यक्षीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये 2500.00 (दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की दर संदेय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

कार्य

- 1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड से व्यथित पक्ष को अपील का अवसर प्रदान करना।
- 2) प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा 02-माह के भीतर करना।

पता

1. आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को विधिवत रूप से भरकर परिषद कार्यालय के ई-मेल आईडी commissioner.nregs@gmail.com एवं est.nregs@gmail.com पर प्रेषित किये जा सकते हैं अथवा आयुक्त म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, 59 द्वितीय तल, नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश पिन-462011 में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक -----** (कार्यालयीन समय तक) निर्धारित है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आयुक्त
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

आवेदन पत्र

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी "

मध्यप्रदेश राज्य में गठित त्रि-सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य पद हेतु
आवेदन पत्र

(पद संख्या-03, शिक्षाविद/सेवानिवृत्त लोक सेवक/सिविल सोसायटी प्रतिनिधि)

आवेदित पद का नाम:- सदस्य (शिक्षाविद/सेवानिवृत्तलोक सेवक/सिविलसोसायटी प्रतिनिधि)कृपया संबंधित श्रेणी में ✓ करें।

प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर अनुभव का क्षेत्र का अनिवार्यतः उल्लेख करें।

1) आवेदक का नाम:-

2) पिता/पति का नाम:-

3) जन्मतिथि :- (अ) अंको में.....
(ब) शब्दों में.....

4) दिनांक.....को आयु:-.....वर्ष.....माह.....दिन
(आयु की पुष्टि हेतु हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित
(attested) अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)

5) लिंग (पुरुष/महिला):-

6) जाति:-

7) वर्ग:-

(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)

8) वर्तमान पता:-

9) स्थायी पता:-

10) फोन/मोबाइल नम्बर:-(एस.टी.डी.कोड सहित)

11. ई-मेल एड्रेस:-

12) शैक्षणिक योग्यता:- (कृपया समस्त दस्तावेज की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी

स्वयं द्वारा
सत्यापित फोटो

13) क्या आप अकादमिक (शिक्षण)/सिविल सेवा/ सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव रखते हैं ? (हाँ/नहीं) :-.....

14) क्रमांक 13 में उल्लेखित क्षेत्र में आपका कुल अनुभव कितने वर्ष का है?
.....

15) अनुभव का विस्तृत विवरण:- (निम्नांकित सारणी में वर्षवार क्रमानुसार विवरण दें)

क्र.	पद नाम	संस्था का नाम	सेवा अवधि वर्ष (...से...तक)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्टता	संलग्न दस्तावेजों का नाम

(शिक्षाविद /सेवानिवृत्त लोक सेवक /सिविल सोसायटी प्रतिनिधि क्रमशः अपने क्षेत्र में न्यूनतम 30-वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित (attested) दस्तावेज, अनिवार्यतः संलग्न करें, सेवानिवृत्त लोक सेवक पेंशन स्वीकृत आदेश या अन्य 30 वर्ष की सेवा प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न करें।)

16) वर्तमान में धारित पद (यदि कोई है, तो).....

17) Member of any society/professional body, if any (give details)
.....

18) क्या आप पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लोकपाल के पद पर कार्य कर चुके हैं?

(अ) हाँ/नहीं :-

(ब) यदि हाँ तो लोकपाल के अनुभव से संबंधित जानकारी निम्नांकित सारणी में दें।

क्र.	जिले का नाम जहाँ पर लोकपाल के पद पर कार्य किये हैं।	क्षेत्राधिकार के जिले	कुल कितने वर्षों तक कार्य किये	कार्यकाल की अवधि (कब से कब तक)	जारी आदेश क्रमांक/दिनांक

(प्रमाण स्वरूप लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश की छायाप्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

19) मूल निवास का जिला:-(निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

20) क्या किसी राजनैतिक दलके सदस्य है ?(हाँ/नहीं).....

21) क्या किसी प्रतिबंधित संगठन/संस्था/समिति के सदस्य है, क्या आपके ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण चल रहा है ? (हाँ/नहीं).....

(क्रमांक 20 एवं 21 में नहीं की स्थिति में इस आशय का 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें)

22) क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने हेतु सक्षम हैं ?

(हां/नहीं) :-

(हाँ की स्थिति में किसी भी शासकीय चिकित्सक से स्वस्थता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

23) अन्य जानकारी, जो आपको सामाजिक रूप से ख्यातिलब्ध (Eminent) बनाती हो।

.....
.....

(क्रमांक 23 में दी गई जानकारी की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

24) संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूची:-

.....
.....
.....

घोषणा

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी मैंने विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को पढ़ा है। मुझे यह जानकारी है कि अपीलवीय प्राधिकरण के सदस्य का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है। इस पद पर मुझे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) से संबंधित अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम सहित)

स्थान:-

दिनांक:-.....

मोबाईल नम्बर.....